छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)
वेब साईट www.cserc.gov.in ई–मेल : cserc.sec.cg@nic.in

टैरिफ एवं पूंजीगत निवेश योजना की याचिकाओं पर जन–सुनवाई हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 62 एवं 86(1)(a) के अन्तर्गत राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियाँ छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं. मर्या. (CSPGCL), छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL), छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL) द्वारा पूँजीगत निवेश के अनुमोदन, ट्रू–अप एवं टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 32(3) के अन्तर्गत छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा पूँजीगत निवेश के अनुमोदन, ट्रू–अप एवं प्रभार के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। यह याचिकाएं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें)

अ. क्र.	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	संक्षिप्त विवरण
1.	01/2022	CSPGCL	वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक के टैरिफ निर्धारण एवं वर्ष 2020-21 का ट्रू–अप
2.	02/2022	CSPTCL	
3.	03/2022	CSLDC	वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन, वर्ष 2020-21 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2022-23 हेतु SLDC प्रभार का निर्धारण
4.	75/2021	CSPDCL	वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन, वर्ष 2020-21 का ट्रू–अप एवं वर्ष 2022-23 हेतु खुदरा विद्युत दर का निर्धारण
5.	73/2021	CSPGCL	वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक के लिए पूँजीगत निवेश योजना का अनुमोदन
6.	05/2022	CSPTCL	
7.	06/2022	CSLDC	
8.	04/2022	CSPDCL	

2. ये याचिकाएं सभी अनावेदक और सभी हितग्राहियों के लिए आयोग एवं याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु उपरोक्त याचिकाओं के सार को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। आयोग द्वारा इन याचिकाओं पर आयोग कार्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट तिथियों एवं समय पर जन–सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है:–

दिनांक	सुनवाई का समय	उपभोक्ता श्रेणी
24/02/2022 (गुरूवार)	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक	गैर–घरेलू
	दोपहर 3:30 बजे से सांयः 5:30 बजे तक	घरेलू
25/02/2022 (शुक्रवार)	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	समस्त उच्चदाब
	दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक	निम्नदाब उद्योग
	दोपहर 4:30 बजे से सांयः 5:30 बजे तक	स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन एवं अन्य

3. सभी इच्छुक पक्षकार जिन्होंने सुझाव/आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि तक आयोग के पास अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की हैं और अन्य इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय–सीमा के भीतर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत नहीं कर सके है, वे अपनी आपत्तियां/सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण देना चाहता है तो आयोग के सचिव को अग्रिम सूचना देनी होगी।

4. वे व्यक्ति जो जन–सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें कोविड–19 हेतु शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड–19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विडियों कान्फ्रेंसिंग द्वारा भी जन–सुनवाई की व्यवस्था की गई है। वे व्यक्ति जो विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन–सुनवाई में उपस्थित होना चाहते हैं वे अपना ई–मेल आईडी/मोबाईल नंबर ई–मेल के माध्यम से, आयोग के विधि विभाग के ई–मेल आईडी cserc.lawsection@gmail.com पर जन–सुनवाई की दिनांक से पूर्व उपलब्ध करावें। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन–सुनवाई में भाग लिया है वे भी अपने आपत्ति/सुझाव सुनवाई उपरान्त 3 दिवस के भीतर सचिव के ई–मेल आई डी cserc.sec.cg@nic.in पर उपलब्ध करावें।

सचिव

SIZE 22X2